नाम पीठासीन अधिकारी : श्री भागीरथराम (R.A.S.)

मुकदमा नंबर 440/2017

प्रार्थी	बनाम	विप्रार्थीगण
हनुमानराम पुत्र लाधाराम जाति जाट निवासी		1. आदूराम पुत्र हरचंदराम के कायम मुकाम 1. दुर्गाराम पुत्र आदूराम 2. भीखाराम उर्फ खेता पुत्र आदूराम 3. पारू पत्नी आदूराम 2. तोगाराम पुत्र हरचंदराम 3. दमाराम पुत्र हरदास के कायम मुकाम 1. डूंगराराम पुत्र दमाराम 2. पनाराम पुत्र दमाराम 3. लेहरो पत्नी दमाराम 4. गुमनाराम पुत्र हरदास 5. देवाराम पुत्र हरदास 6. ईश्वरराम पुत्र हेमाराम के कायम मुकाम 1. वगाराम पुत्र ईश्वरराम 2. पन्नाराम पुत्र ईश्वरराम 3. मोहन पुत्र ईश्वरराम 4. हरकु बेवा ईश्वरराम 7. राजस्थान सरकार जरिये भूमिधारक तहसीलदार पचपदरा

प्रार्थना पत्र वास्ते 251ए आर.टी.ए. (1) राजस्थान टीनेन्सी एक्ट 1955 के तहत स्वीकृति हेतु

उपस्थित :– 1. श्री रूगाराम कड़वासरा, अधिवक्ता प्रार्थी
2. श्री अचलाराम थोरी, अधिवक्ता विप्रार्थी

दिनांक 19.04.2018

प्रार्थना पत्र के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि प्रार्थी की खातेदार कब्जासुद खेत खसरा नंबर 473 रकबा 20 बीघा 14 विस्वा भूमि में कृषि साधनों के उपयोग–उपभोग व आवागमन हेतु विप्रार्थीगण की भूमि खसरा नंबर 477 रकबा 23 बीघा 19 विस्वा भूमि सरहद मोजा गंगाणियों की ढाणी तहसील पचपदरा में आयी हुई है जो प्रार्थी व विप्रार्थीगण के कब्जे काश्त की खातदेरी भूमि है।

अधिकारी (S.D.O.) बालोतरा

उपखण्ड अधिकारी
बालोतरा (राज.)

Scanned by CamScanner

प्रार्थी ने अपने खेत खसरा नंबर 473 मे जाने हेतु केवल मात्र विप्रार्थीगण के खसरा नंबर 477 में से ही आवागमन व कृषि साधनों के उपयोग हेतु एकमात्र रास्ता यही है जो रास्ता पूर्व में विप्रार्थीगण से मौखिक तौर पर प्रार्थी द्वारा स्वयं की भूमि समर्पित कर लिया गया था जिसका निर्वहन रुप से प्रार्थी व अन्य के द्वारा उपयोग व उपभोग किया जा रहा था, लेकिन हाल ही में कदीमी से चल रहे रास्ते को अवरूद्ध कर दिया गया। प्रार्थी के खेत खसरा नंबर 473 से डामर रोड़ पर जाने वाले रास्ते की दूरी मात्र करीबन 500 मीटर है एकमात्र यही सरल रास्ता है।

विप्रार्थीगण ने अपना जबाव दिनांक 19.04.2018 को पेश कर प्रार्थना पत्र के तथ्यों को अस्वीकार कर विशेष कथन किया गया। प्रार्थी को खातेदार खेत खसरा नंबर 478 जो मुख्य सड़क से जुड़ता है, के तथ्यों को न्यायालय से साश्य छिपाया है, विधि अनुसार जो पक्षकार सही तथ्यों को छिपाता है तो कोई भी अनुतोष न्यायालय से प्राप्त करने का अधिकारी नहीं होता।

प्रार्थी ने पास आवागमन का निकटतम दूरी का रास्ता उपलब्ध होते हुए अन्य किसी रास्ते की आवश्यकता नहीं है फिर भी जिस प्रकार से प्रार्थी ने चाहा उसी अनुसार रास्ता दिया जाता है तो विप्रार्थीगण के खेत के टूकडे हो जायेंगे जिससे विप्रार्थीगण को आर्थिक क्षति होगी। न्यायालय प्रार्थी को विप्रार्थीगण के खेत में से रास्ता देनाउचित समझता है तो जबाव के संलग्न परिशिष्ट ''ब'' में वर्णित मार्क अ से ब रास्ता उपलब्ध कराया जावे। उक्त रास्ता 177 मीटर लम्बा व 3 मीटर चौडा के आधार से 18 विस्वा भूमि बनेगी व दो गुणा मुआवजा एवं खेत की सुरक्षार्थ तारबंदी इत्यादी हेतु रुपये 15000/– दिलाया जावे।

इस सबंध में तहसीलदार पचपदरा से मौका जांच रिपोर्ट ली गयी। तहसीलदार पचपदरा ने अपने पत्रांक राजस्व/2018/1975 दिनांक 09.04.2018 के जरिये रिपोर्ट पेश कर जाहिर किया कि ग्राम गंगाणियों की ढाणी में खसरा नंबर 477 में से रास्ते हेतु भूमि प्रस्तावित की गई है जिसका कुल रकबा 0.07 विस्वा बनता है जिसकी वर्तमान डी.एल.सी. दर 17900/– रुपये प्रति बीघा होने से प्रस्तावित भूमि दो गुना राशि रुपये 12530/– बनती है।

हमने दोनों पक्षों की बहस सुनी गई तथा प्रस्तुत दस्तावेज व मौका रिपोर्ट का अवलोकन कियागया। प्रार्थी द्वारा प्रस्तावित रास्ता व तहसीलदार पचपदरा की जांच रिपोर्ट अनुसार यह एकमात्र नजदीकी रास्ता है जिसमे रास्ता के उपयोग में रकबा 0.07 बीघा भूमि काम आयेगी जो परिशिष्ट ''अ'' में मार्क A,B & C,D दर्शायी गई है जबकि विप्रार्थीगण ने खसरा नंबर 477 में परिशिष्ट ''ब'' में अ से ब रास्ता प्रस्तावित किया जिसका रकबा 0.18 विस्वा है।

उपखण्ड अधिकारी
बालोतरा (राज.)

Scanned by CamScanner

उपरोक्त विवेचन अनुसार ग्राम गंगाणियों के ढाणी के खेत खसरा नंबर 477 रकबा 22 बीघा 19 विस्वा में से रास्त हेतु भूमि रकबा 0.07 बीघा भूमि प्रस्तावित की है जिसकी डी.एल.सी. दर 17900/– प्रति बीघा होने से प्रस्तावित भूमि की दो गुणा राशि रुपये 12530/– व खेत की सुरक्षार्थ तारबंदी के 7500/– रुपये कुल राशि 20030/– बनते है जो प्रार्थी, विप्रार्थीगण को अदा करे या अदालत में जमा करावने पर तहसीलदार पचपदरा को पालनार्थ भेजा जावे।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र प्रार्थी इस प्रकार से स्वीका कर आदेश दिया जाता है कि ग्राम गंगाणियों की ढाणी के खेत खसरा नंबर 477 में से विप्रार्थीगण की ओर से जवाब के संलग्न "परिशिष्ट ब " में वर्णित मार्क अ से ब रास्ता 13 फीट चौड़ाई का घोषित किया जाता है।

(भागीरथ राम)
उपखण्ड अधिकारी
(एस.डी.ओ.) बालोतरा

आदेश आज दिनांक 19.04.2018 को लिखाया जाकर,खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

उपखण्ड अधिकारी
(एस.डी.ओ.) बालोतरा

Scanned by CamScanner